नितान्त गोपनीय

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

बीसवां प्रतिवेदन

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2015

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने अपने उन्नीसवें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 एवं गुरूवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को सदन में लिये जाने वाले कार्य के साथ-साथ अब मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

1- राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार।
2- राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015 ;
3- राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015;
4- राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 ; एवं
5- राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 ;

- पर विचार एवं पारण।

6- राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाये जाने हेतु शासकीय संकल्प ; एवं
7- राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाये जाने हेतु शासकीय संकल्प ;

- पर विचार एवं पारण।

8- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-16 (प्रथम संकलन) का मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्ससंबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

कैलाश चन्द्र मेघवाल
पदेन सभापति

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक 21 सितम्बर, 2015

नोट :- 1. उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।
2. कृपया इसे सदन में उपस्थापित होने तक गोपनीय रखें ।